न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या 02/19 निर्णय दिनांकः 22–01–2020
(आरसीएमएस सख्या 2019/00017)

1. भैरूसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी गोगागेट के अन्दर, बीकानेर।

–प्रार्थीगण

–बनाम–

1. राजस्थान राज्य जरिये पैरोकारराज

–अप्रार्थी

नजरसानी प्रार्थना पत्र विरुद्व निर्णय
राजस्व अपील प्राधिकारी,बीकानेर
दिनांक 26–04–2018

उपस्थितः–

1. श्री उमाशंकर व्यास, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री अब्दुल कासनिया, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 26–04–2018 जिसके द्वारा प्रार्थी की अपील खारिज की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, की धारा 229 एवं सपठित आदेश 47 नियत 1 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण द्वारा वर्ष1985 में बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर आवंटन सलाहकार समीति द्वारा प्रार्थीगण भूमि पाने के लिए सक्षम धोषित किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूत प्रस्तुत करते हुए भूमिहीन आवंटन हेतु इस्तदुआ की गई थी। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट को वांछित सबूत पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया परन्तु अपीलांट हाजिर नहीं आया। इसलिए आवंटन निरस्त किया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जाता है। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाना चाहिए था। प्रकरण में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष सद्भावी काश्तकार का प्रमाण पत्र बतौर सबूत पेश भी किया गया था, परन्तु अदालतवाला ने तथ्य पर कोई गौर किये बिना आदेश पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जो स्पष्ट रूप से एरर अपरेन्ट ऑन दा फेस ऑफ दा रिकार्ड की श्रेणी में आता है। प्रकरण में जब यह तथ्य भलीभांति साबित है कि प्रार्थी का पेशा सद्भावी काश्तकार का है तो उसी आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी/अपीलांट के आवंटन की पत्रावली को तलब किये बिना मात्र सरसरी तौर पर आदेश पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–04–2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेतिषत किया जावे कि वे प्रार्थी/अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन कि अपीलांट्स की अपील गुणावगुण पर खारिज की जा चुकी है। रिव्यू का स्कोप लिमिटेड है, जिस पर गुणावगुण पर बहस नहीं की जा सकती है। अपीलांट् का प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में खाारिज हो चुका है तथा इसी आधार पर प्रार्थी/अपीलांट की अपील भी खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में खारिज

किया गया। उक्त खारिजी आदेश के विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थी/अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकर करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। उक्त रिमाण्ड आदेशों की पालना में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा वांछित सबूत पेश नहीं किये जाने के आधार पर पुनः भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश की प्रार्थी/अपीलांट द्वारा पुनः न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जोकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–04–2018 के माध्यम से इस आधार पर खारिज कर दी गई कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा वांछित सबूत पेश नहीं किये गये है। इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व बतौर सबूत कार्यालय राजस्व तहसीलदार, बीकानेर का सद्भावी कृषक का प्रमाण पत्र कमांक 4473 दिनांक 09–10–1998 प्रस्तुत किया जाना साबित है। ऐसीस्थिति में उक्त स्थिति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के बावजूद भी कि अपीलांट बतौर पेशा सद्भावी काश्तकार है, प्रार्थी/अपीलांट की अपील को इसी आधार पर खारिज किया जाना स्पष्ट रूप से एरर अपरेन्ट ऑन दा फेस ऑफ दा रिकार्ड की श्रेणी में आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–04–2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के भूमिहीन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22–01–2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.14 16:20:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: